



[2026:RJ-JD:14282]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2730/2026

1. Om Prakash S/o Sh. Teja Ram, Aged About 37 Years, R/o Siyago Ki Dhani, Tankala P.S. Khivsar District Nagaur. (Presently Lodged in Central Jail, Jodhpur)
2. Mahendra S/o Sh. Shimbhu Ram, Aged About 26 Years, R/o Barathal, P.S. Khivsar District Nagaur. (Presently Lodged in Central Jail, Jodhpur)

-----Petitioners

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Birbal Ram Bishnoi, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Urja Ram Kalbi, Addl. GA

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/03/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना लूणी, जोधपुर शहर पश्चिम में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 43/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 121(1), 132, 303(2), 189(2) भारतीय न्याय संहिता, धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया



गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, वे दिनांक 21.02.2026 से अभिरक्षा में हैं। जिस डम्पर द्वारा पुलिस की गाड़ी के टक्कर मारना बताया गया है, वह डम्पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा नहीं चलाया जा रहा था, उनके विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, उनसे कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर अवैध बजरी का खनन करते हुए पुलिस द्वारा रोके जाने पर पुलिस पर जानलेवा हमला कर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने के अपराध का आरोप है। बजरी से भरे डम्परो को एस्कॉर्ट कर रही बोलेरो कैम्पर के चालक रवि खींचड़ द्वारा सातों डम्पर उसके स्वयं के होना बताया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त डम्परो व बोलेरो के चालक हों और उन्हें मौके पर पकड़ा गया हो, यह स्पष्ट नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 21.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहे हैं, प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।



परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. ओमप्रकाश पुत्र तेजाराम 2. महेन्द्र पुत्र शिम्भुराम की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J